भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *145
31.07.2023 को उत्तर के लिए

चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान

*145. **डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:**
श्री राहुल रमेश शेवाले:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों के दौरान देश में, विशेषकर ओडिशा में जनित चिकित्सीय अपशिष्ट का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने कोरोना काल के दौरान कोविड-19 की रोकथाम के लिए उपयोग किए जाने वाले पीपीई किट, मास्क और अन्य सामग्रियों से होने वाले प्रदूषण का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भेषज अपशिष्ट के निपटान और अपनाई जाने वाली विनिर्माण पद्धतियों से रोगाणुरोधी प्रतिरोध हो सकता है; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न बड़े खतरे को देखते हुए चिकित्सा अपशिष्ट के समुचित निपटान और उपचार के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

''चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान'' के संबंध में डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे और राहुल रमेश शेवाले द्वारा सोमवार दिनांक 31 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *145 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सूचित किया है कि वर्ष 2020 और 2021 में क्रमश: लगभग 651 टन प्रतिदिन (टीपीडी) और 678 टीपीडी जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) सृजित हुआ था, जिसमें से उन्हीं वर्षों में क्रमश: 15.3 टीपीडी तथा 16.17 टीपीडी जैव-चिकित्सा अपशिष्ट ओडिशा राज्य में सृजित हुआ था। बीएमडब्ल्यू के सृजन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा **अनुबंध क** में दिया गया है।

(ख): सीपीसीबी द्वारा 'कोविड-19 के मरीजों के उपचार/रोग निदान/संघरोध के दौरान उत्पन्न बीएमडब्ल्यू की संभलाई, शोधन और निपटान' के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए थे, जिनमें कोविड मरीजों और डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए गए पीपीई किटों, मास्कों और अन्य सामग्रियों के एकत्रीकरण, शोधन और निपटान हेतु तौर-तरीके निर्धारित किए गए हैं। पीपीई अर्थात् गॉगल्स, फेस-शील्ड, स्प्लैश प्रूफ ऐप्रन, प्लास्टिक कवरऑल, हज्मेट सूट, नाइट्रिल ग्लव्स आदि को 'लाल श्रेणी' में वर्गीकृत किया गया है और उनका शोधन ऑटोक्लेव/माइक्रोवेब के पश्चात श्रेडिंग के माध्यम से किया जाता है। प्रयुक्त मास्क (ट्रिपल लेयर मास्क, एन 95 मास्क आदि सहित), हेडकवर/कैप, शू कवर, डिस्पोजेबल लिनन गाउन, नॉन-प्लास्टिक या सेमी-प्लास्टिक कवरऑल आदि को 'पीली श्रेणी' में वर्गीकृत किया गया था और उनका शोधन एवं निपटान दहन के माध्यम से किया गया था। सीपीसीबी ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न बीएमडब्ल्यू का पता लगाने के लिए 'कोविड-19 बीएमडब्ल्यू' नामक एक ऐप तैयार किया है। सीपीसीबी ने सूचित किया है कि मई, 2020 से मई 2023 के दौरान साझा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन केन्द्रों (सीबीडब्ल्यूटीएफ) के माध्यम से लगभग 77708.07 टन कोविड-19 बीएमडब्ल्यू का निपटान किया गया है।

(ग) और (घ): सरकार भारत में एंटी-माइक्रोबियल रोग प्रतिरोध (एएमआर) के कारण उत्पन्न चुनौतियों के विषय में अवगत है। तदनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एंटी-माइक्रोबियल रोग प्रतिरोध (एएमआर) के संबंध में एक राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) तैयार की गई है, जो एएमआर को नियंत्रित करने में हितधारकों को शामिल करके एएमआर से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य की चुनौती से निपटने हेतु एक रोडमैप उपलब्ध कराती है। नियंत्रण संबंधी कार्यनीति में एंटीबायोटिक अवशेषों की निगरानी को सुदृढ़ करना; एएमआर के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु संस्थानों के साथ सहयोग करना; एएमआर से संबंधित पहलुओं के विषय में जागरूकता, शिक्षा और संवेदीकरण कार्यक्रम संचालित करना; मनुष्यों और पशुओं में एंटीबायोटिक्स के उपयोग को इष्टतम बनाना; एएमआर संबंधी कार्यकलापों में निवेश को बढ़ावा देना; और संक्रमण को प्रभावी ढंग से निवारित और नियंत्रित करना शामिल है।

*****

अनुबंध-क

''चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान'' के संबंध में डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे और राहुल रमेश शेवाले द्वारा सोमवार दिनांक 31 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *145 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2020 और 2021 में जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के सृजन का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा (किग्रा/दिन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2020	वर्ष 2021
1	अंडमान निकोबार	536	543
2	आंध्र प्रदेश	25029	19720

3	अरुणाचल प्रदेश	354	348
4	असम	8236	8421
5	बिहार	27846	20549
6	चंडीगढ़	5729	5374
7	छत्तीसगढ	7234	7907
8	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	450	554
9	दिल्ली	23200	25828
10	गोवा	1273	1129
11	गुजरात	49492	52800
12	हरियाणा	19217	21436
13	हिमाचल प्रदेश	3546	4130
14	झारखंड	8407	7524
15	जम्मू और कश्मीर	5942	7664
16	कर्नाटक	82604	77639
17	केरल	40408	61136
18	लद्दाख	43	35
19	लक्षद्वीप	1137	87
20	मध्य प्रदेश	20009	19754
21	महाराष्ट्र	82146	80314
22	मणिपुर	922	1166
23	मेघालय	1557	1287
24	मिजोरम	863	804
25	नगालैंड	892	1007
26	ओडिशा	15304	16168
27	पुदुचेरी	4360	4639
28	पंजाब	16998	18490
29	राजस्थान	18912	19170
30	सिक्किम	478	545
31	तमिलनाडु	35270	45216
32	तेलंगाना	23810	24235
33	त्रिपुरा	3853	1940
34	उत्तराखंड	7617	6891
35	उत्तर प्रदेश	64038	71264
36	पश्चिम बंगाल	43513	42287
	कुल	**651225**	**678001**

**किग्रा/दिन-किलोग्राम प्रति दिन* *(स्रोत-केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)*

*****